बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग</u>

संकल्प

पटना, दिनांक................................/

संचिका संख्या–03/आ01–117/2025...................../चूँकि महामहिम राज्यपाल महोदय को विश्वास होने का कारण है कि श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), नालन्दा संप्रति निलंबित के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित आरोप यथा पूर्व में गठित प्रबंध समिति के शेष सदस्यों का नाम नए प्रबंध समिति में भेजने से इन्कार करते हुए रिश्वत की मांग करना, स्वेच्छाचारिता पूर्वक विभागीय आचरण के प्रतिकूल कार्य करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना आदि पाए गए है।

2. सरकार ने संकल्प लिया है कि श्री अनिल कुमार के विरूद्ध इन आरोपों की वृहत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 समय समय पर यथा–संशोधित के नियम 17 के प्रावधानों के तहत कराई जाय।

3. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही/जांच के संचालन हेतु श्री शाहजहां, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदधिकारी, नालंदा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अन्दर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए विभागीय कार्यवाही संपन्न कर विहित प्रपत्र में अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प अनुबंध, आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–117/2025 i/371043/ पटना, दिनांक 25/02/2026/

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0 कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से), बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/श्री शाहजहां, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग–सह–संचालन पदाधिकारी/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), नालन्दा संप्रति निलंबित (निलंबन मुख्यालय– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना) तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 25-02-2026 12:59:13

E:\Manish

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

परिशिष्ट–1

आरोप पत्र

(1) प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम	:–	अनिल कुमार
2. पदनाम	:–	तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नालन्दा सम्प्रति निलंबित
3. जन्मतिथि	:–	12.08.1979
4. सेवानिवृति की तिथि	:–	31.08.2039
5. सेवा/संवर्गकानाम	:–	बिहार शिक्षा सेवा
6. पद समूह एवं विभाग	:–	शिक्षा विभाग, (प्रशासन उप संवर्ग)
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:–	
8. वेतन बैड एवं ग्रेड पे/वेतनस्तर	:–	लेवल–11
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	वर्ष 2025
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत कालबाधित होने की तिथि	:–	लागू नहीं

ह0/–
निदेशक (प्रशासन)

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. महंथ विद्यानन्द इण्टर महाविद्यालय हिलसा (नालन्दा) के लिए पूर्व में दिनांक 08.09.2023 को गठित प्रबंध समिति के शेष सदस्यों का प्रावधानों का नये प्रबंध समिति में नाम भेजने से इन्कार करते हुए रिश्वत की मांग करना।
2. स्वेच्छाचारिता पूर्वक एवं विभागीय आचरण के प्रतिकूल कार्य करना।
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

ह0/–
निदेशक (प्रशासन)

(3) तृतीय भाग–अवचार याकदाचार के लांछनों के अभिकथन

1. महंथ विद्यानन्द इण्टर महाविद्यालय हिलसा (नालन्दा) में दिनांक–30.09.2024 को प्रभारी प्राचार्य डॉ० राज बल्लभ प्रसाद के सेवानिवृत हो जाने के परिणामस्वरूप महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा प्रोफेसर सत्येन्द्र कुमार सिंह (जीवविज्ञान) को सर्वसम्मति से

प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करते हुए महाविद्यालय का सम्पूर्ण प्रभार हस्तगत करा दिया गया था। परन्तु आपने एकल निर्णय लेकर प्रबंध समिति के सात सदस्यों के निर्णय को खंडित करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक–381, दिनांक–04.10.2024 द्वारा अप्रशिक्षित अम्बिका शरण सिंह को अस्थायी प्रभारी प्राचार्य प्राधिकृत कर दिया गया। निदेशक (शैक्षणिक) के पत्रांक–बी०एस०ई०बी० 1074, दिनांक–30.05.2025 के द्वारा आपको प्रबंध समिति का गठन करते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया गया। आपके द्वारा पूर्व में दिनांक 08.09.2023 में गठित प्रबंध समिति के शेष सदस्यों को नये प्रबंध समिति में नाम भेजने से इन्कार करते हुए रिश्वत की मांग की गयी, जिसके लिए निगरानी विभाग के द्वारा आपको घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया गया।

2. महंथ विद्यानन्द इण्टर महाविद्यालय हिलसा (नालन्दा) में दिनांक–30.09.2024 को प्रभारी प्राचार्य डॉ० राज बल्लभ प्रसाद के सेवानिवृत हो जाने के परिणामस्वरूप महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा प्रोफेसर सत्येन्द्र कुमार सिंह (जीवविज्ञान) को सर्वसम्मति से प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करते हुए महाविद्यालय का सम्पूर्ण प्रभार हस्तगत करा दिया गया था। परन्तु आपने एकल निर्णय लेकर प्रबंध समिति के सात सदस्यों के निर्णय को खंडित करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक–381, दिनांक–04.10.2024 द्वारा अप्रशिक्षित अम्बिका शरण सिंह को अस्थायी प्रभारी प्राचार्य प्राधिकृत कर दिया गया। निदेशक (शैक्षणिक) के पत्रांक–बी०एस०ई०बी० 1074, दिनांक–30.05.2025 के द्वारा आपको प्रबंध समिति का गठन करते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया गया। आपके द्वारा पूर्व में दिनांक 08.09.2023 में गठित प्रबंध समिति के शेष सदस्यों को नये प्रबंध समिति में नाम भेजने से इन्कार करने स्वेच्छाचारिता पूर्वक रवैया अपनाते हुए विभागीय प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य किया गया है।

3. इस प्रकार आपके द्वारा विभागीय कार्य का नियमानुसार संपादन नहीं करके कदाचारपूर्वक रवैया अपनाया गया तथा रिश्वत प्राप्त किया गया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

ह0/–

निदेशक (प्रशासन)

(4) चतुर्थ भाग– (क) दस्तावेजों की सूची

क्र0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	निगरानी थाना कांड संख्या–12/15 दिनांक 27.06.2025	01

E:\Manish

	(एफ0आई0आर0 की प्रति)	

(ख) साक्षियों की सूची

1. संचालन पदाधिकारी द्वारा नियत/यथा उपयुक्त।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 29-10-2025 18:04:51

निदेशक (प्रशासन)

E:\Manish

(17)

Office of the Additional Director General of Police
Special Vigilance Unit,
5, Daroga Prasad Rai Path, Patna
Tele+Fax: 0612-2506253
E-mail: svu.patna-bih@nic.in

Letter No. 858 /12/2025/SVU/Pat. Date-..24.../06/2025.

To

The Secretary,
Education Department,
Govt. of Bihar, Patna.

Subject- SVU, Patna case no-12/2025 dt-23.06.2025 against Shri Anil Kumar, District Program Officer, Nalanda u/s 7 PC Act, 1988 (as amended in 2018)

Sir,

Enclosed kindly find herewith copy of FIR No-12/2025 of SVU Patna for favour of kind information and necessary action.

Enclosure- As above.

Sincerely yours

(J.P. Mishra)
SP/SVU/Patna

(16)

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

संख्या

आ० ह० प्रपत्र सं० 26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R.)

019820

BNSS 173

(~~दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन~~)

1. *जिला पटना *अनुमंडल सदर *थाना नि० वि० ब्यू० *वर्ष 2025 *प्राथमिकी सं० 12/25 *तिथि 23.06.25
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act.) PC Act 1988 (यथा संशोधित 2018) *धाराएँ (Sections) 7
(II) *अधिनियम (Act.) .... *धाराएँ (Sections) ....
(III) *अधिनियम (Act.) .... *धाराएँ (Sections) ....
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) ....

3. (क) *अपराध की घटना रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाना *दिन सोमवार *तिथि से 23.06.25 *तिथि तक ....
(Occurrance of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) NA *बजे से NA *बजे तक
(Time Period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 18.06.2025 समय ....

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 23.06.2025 समय 10:00 बजे (सुबह)

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं० 266 समय ....

4. सूचना का प्रकार (Type of Information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral)

5. घटना स्थल-(क) थाना से दिशा एवं दूरी पूरब-दक्षिण, 50 K.M गश्त सं० ....
(ख) *पता (Address) बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार
(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम .... जिला ....

6. परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम नरेन्द्र कुमार,
(ख) पिता/पति का नाम ....
(ग) जन्म-तिथि .... (घ) राष्ट्रीयता भारतीय
(ड) पारपत्र सं० .... निर्गम तिथि .... निर्गम स्थान ....
(च) पेशा प्रबंध समिति सदस्य सह रोकड़पाल, महंथ विधानन्द कॉलेज
(छ) पता हिलसा, नालंदा, बिहार।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएँ)

अनिल कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth. (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से0 मी0 में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दाँत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	स्थान				
	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टितायें दी जाएं तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के लिए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुन: तैयार किए जाएंगे।

(14)

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0‑118

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलम्ब का कारण :...

....

....

9. चुरायी गई/अर्न्तग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के ब्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)

....

....

....

10. *चुराई गयी/अर्न्तग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)......

....

11. *अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं0, यदि हो तो (U.D. Case No., if any)..

....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

वादी का आवेदन, संदिग्ध एवं वादी के बीच बातचीत का ट्रान्सक्रीप्ट तथा सत्यापन (~~छायाप्रति~~) प्रतिवेदन साथ संलग्न है।

(13)

सूची 47, प्रपत्र सं0-118

6. की गई कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं0 २ में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया* अशोक कुमार झा .... पदनाम पुलिस उपाधीक्षक का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर .... थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation/ directed* .... Rank.................... to take up the investigation).

7. परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

5. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय –

23.6.25

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name)....विन्देश्वर प्रसाद........

पदनाम (Designation)....पुलिस अधीक्षक,........

नि0 नि0 50, पटना

(12) Registered SVU Case No. 12/25 dt. 23.06.25 u/s 7 P.C Act 1988 (As amended 2018). This case will be investigated by D.S.P Ashok Kr. Jha.

18 ... to verify.

1472 ... 18.06.25

1

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
विशेष निगरानी इकाई, पटना

महाशय,

अति विनम्रता पूर्वक निवेदन के साथ कहना है:-

(1) यह कि मैं नरेन्द्र कुमार, लोकपाल सह प्रबंध समिति सदस्य महंथ विद्यानन्द कॉलेज हिलसा (नालन्दा) में कार्यरत हूँ।

(2) यह कि उपरोक्त महाविद्यालय वित्तरहित है, जो प्रबंध समिति द्वारा संचालित है।

(3) यह कि उपरोक्त महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डा० राजवल्लभ प्रसाद दिनांक 30.09.2025 को सेवा निवृत्ति के साथ ही महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों सहित प्रबंध समिति के उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के आलोक में प्रो० सत्येन्द्र कुमार सिंह (जीव विज्ञान) को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करते हुए महाविद्यालय के सम्पूर्ण प्रभार हस्तगत कर दिए क्योंकि केवल सत्येन्द्र कुमार सिंह ही प्राचार्य के संबंधित योग्यताओं को पूरी करते हैं।

(4) यह कि सत्येन्द्र कुमार सिंह कार्य सम्पादन कर रहे थे कि अचानक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा० शि०) नालन्दा ने एकल निर्णय लेकर प्रबंध समिति के सात सदस्यों के निर्णय को खंडित करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक 381 दिना

04.10.2024 को अप्रशिक्षित अभिषेक शरण सिंह को अस्थायी प्रभारी प्राचार्य प्राधिकृत कर दिए जो नियम के प्रतिकूल है।

(5) यह कि जिला शिक्षा पदा० के उपरोक्त D.P.O. के आदेश को निदेशक (शैक्षणिक) बि० वि० परीक्षा समिति के निर्देश के आलोक में जाँच के क्रम स्थगित कर दिए जिसे D.P.O द्वारा भी जिला शिक्षा पदा० के पत्रांक 2132 दिनांक 25.11.2024 को अनुपालन किया गया।

(6) यह कि दिनांक 24.12.2024 को प्रबंध समिति में निर्णय हेतु बैठक आहुत की गई जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सत्येन्द्र कुमार सिंह को प्रभारी प्राचार्य बनाने में अपनी-अपनी सहमति प्रदान किए

(7) यह कि इसके बाद जिला शिक्षा पदा० नालन्दा द्वारा अपने पत्रांक 2132 दिनांक 25.11.24 को Recall ले लिए जो नियम के प्रतिकूल है।

(8) यह कि निदेशक शैक्षणिक के पत्रांक BSEB 390 दिनांक 8/02/2025 के द्वारा D.E.O. से माँगी गई प्रतिवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदा० नालन्दा के निदेशक (शैक्षणिक) को अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए प्रतिवेदित किए

(9) यह कि पुनः निदेशक शैक्षणिक द्वारा जिला कार्यक्रम पदा० (मा० शि०) DEO (मा० शि०) नालन्दा को प्रबंध समिति का गठन कर निर्णय लेने को BSEB के पत्रांक 1074 दिनांक 30/07/2025 से आदेश दिया गया।

P.T.O.

(10) यह कि जिला कार्यक्रम पदा० (मा० शि०) नालंदा द्वारा पूर्व में दिनांक 08/09-2023 को गठित प्रबंध समिति के शेष सदस्यों को नया प्रबंध समिति में नाम भेजने से इनकार करते हुए रिश्वत की मांग 20000/— रुपये कर रहे हैं जो हम लोग देने में असमर्थ थे।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उचित कानूनी कारवाई कर परम यश के भागी बने इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी

नरेन्द्र कुमार

तदर्थ प्रबंध समिति सदस्य सह
रोकड़पाल
महंथ विद्यानंद कॉलेज
हिलसा (नालंदा)
मो0- 6200581528
दिनांक- ~~2~~0/06/2025
दिनांक- 18/06/2025

नोट- रिश्वत की मांग 20000 (बीस हजार) रुपये श्री अनिल कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा की गई है।

नरेन्द्र कुमार
दिनांक- 18/06/2025

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय
विशेष निगरानी इकाई
पटना, बिहार।

विषय - सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

सादरपूर्वक कहना है कि परिवादी नरेन्द्र कुमार पूर्व प्रबंध समिति सदस्य सह शेखपाल महंथ विद्यानन्द कॉलेज हिलसा (नालन्दा) मो. 6200581528 के द्वारा समर्पित आवेदन का सत्यापन करने का आदेश दिनांक 18.06.25 को मिला। मेरे द्वारा परिवाद पत्र का अवलोकन किया तत्पश्चात् दिनांक - 21.06.25 को परिवादी के कहे अनुसार प्राचार्य से मिलने D.E.O कार्यालय बिहारशरीफ नालन्दा पहुँचा। वहाँ आस-पास के लोगों से पता किया कि वे एक सरकारी पदाधिकारी है। परिवादी से मिलकर उनको एक SONY कम्पनी का Recorder उनके पॉकेट में चालू अवस्था में किया ताकि प्राचार्य और परिवादी के बीच जो भी बातचीत हो उसको रिकार्ड किया जा सके। परिवादी जब D.E.O कार्यालय से बाहर आये और मैंने जो उनको रिकॉर्डर दिया था उनसे

(8)

वापस लिया और उनको सुना है। रिश्वत की राशि जो 20000 (बीस हजार रुपये) माँगी जाने की हामी भर रहे हैं लेकिन हमारों में।

श्रीमान् से सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

सोनू कुमार

कु०आ०नि०

वि० नि० ई०

पटना, बिहार

दिनांक - 27.06.25

दिनांक 21.06.25 को संदिग्ध श्री अनिल (2)
कुमार एवं शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार के बीच
हुई वार्तालाप का ट्रान्सक्रिप्ट जो निम्न है -:

शिकायतकर्ता -: प्रणाम सर

संदिग्ध -: इशारा में प्रणाम, जो बोलना है जो बोलिए, जो बताना है, वही बताइए आज और परसों तक लगातार काम करते रहेंगे। इनलोगों को भगा नहीं सकते हैं। जो कहना है कहकर खत्म कीजिए

शिकायतकर्ता -: 5 मिनट थोड़ा सा समय दें सर

संदिग्ध -: समय, सुन रहे हैं, बोलिए यहीं बोलिए, क्या दिक्कत है ये सुन ली लेगा तब, ये ब्लॉक का खाता है जिला का खाता नहीं है।

शिकायतकर्ता - 5 मिनट समय देंगे न सर।

संदिग्ध - बताइए, काम ज्यादा है जल्दी बताइए।

शिकायतकर्ता -: कह रहे हैं सर अब तो लोग आवास में दुविधा है अपने तरफ से देखें न सर।

(6)

संदिग्ध - देखिए बहुत क्लीयर है कमेटी हम गठित करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि विवाद बहुत हो गया है। कमेटी में प्रोफेसर में एक ही महिला है और तो कोई महिला है नहीं वो तो ऑब्वियसली रहेंगी ही, लेकिन बात है उसी में से उनको लोगों चयन करने का मतलब बनता नहीं है। शिकायतकर्ता वही में एक प्रोफेसर है। उसको मेंबर बनायेंगे नहीं, शर्त रख दी।

शिकायतकर्ता — जी

संदिग्ध - हमारा इसमें एजेंडा बहुत क्लीयर है। मेरी बात सुन लीजिए जो मेरी रणनीति है वो आपको बता रहे हैं। इसकी बात शिकायतकर्ता में या तो मेरी कोशिश होगी या तो खड़ा होइये तो सब खड़ा होइए समझ जाए न आप भी खड़ा होइए, वो भी खड़ा होंगे। हम किसी को मना न करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन है आपको डेढ़ करोड़ का सपोर्ट है। हमारा डायरी मेरे पास है व्यक्तिगत बोल रहे हैं।

शिकायतकर्ता -! मेरा भी उद्धार कर दीजिए सर

शिकायतकर्ता - अपने जा रहित इनतर तो हमेशा उधार वहाँ जाइये।

संक्षिप्त -: मैं बहुत कोशिश किया कि नरेन्द्र पद पर रहें। या तो नरेन्द्र प्रिंसिपल का पद भाहि छोड़ देते न तो नरेन्द्र पद पर रहते। हमने कहा था कि आप अपने पद पर बने रहिए और सेवा करते रहिए। अगर ताकत की लड़ाई है तो बाहर मैं फैसला-पैली कीजिए न यहाँ तो आप कमजोर है इसले।

शिकायतकर्ता -! मैंने सट कमेटी के लड़ाई है।

संक्षिप्त -! अगर कमेटी के निकाले है तो कोई पत्र है तो दीजिए।

शिकायतकर्ता -! गाइडलाइन मैं तो सब है दीजिए।

संक्षिप्त -! सुन लीजिए एक शिकायत कमेटी का मीटिंग नहीं किया हम बोलते हैं यदि सब कम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है तो सब को भगा दो। नहीं मानता है तो कमिटी को भंग कर दो। हम पागल आदमी हैं।

5) 9mb

शिकायतकर्ता -! सर एक्को रिक्वेस्ट करा है सर, लोगन
मैं अपने जा रहते हैं औ खर्ची होत,
हम अपनी का सोमवार को 20 हजार
रुपये अपने के क्लीयर कर देते हैं।
कमिटी को जैसे होवे सर क्लीयर कर
देते हीन, सत्येन्द्र भी क्लीयर हो जाइत
और भी कुछ हो जाइत - - - - - ।
सत्येन्द्र भी होवां है तो 50 हजार देवे
को तैयार हैं। जो होवा है सर कल्याण
करके चल जैतहीन ।

संदिग्ध - तो सब तो ठीक है।

9mb शिकायतकर्ता -! सब दिन हुआ कैलतीन ह सर, जैसा
सब दिन कैलतहीन है सर, अपने के हलका
में ताकत हैं। गाइडलाइन के अनुसार
जो काम होवा है सर वो ठीक होवा
है सर, अच्छा होवा है सर, आप है ही
सर, आपन कोई गुड्डा है सर।

संदिग्ध - मैं तो केवल अनुमोदन के फाइल बढ़ाते
हूँ।

शिकायतकर्ता -! ठीक है सर सब पावर अपने में हैं

संदिग्ध -! मैंने 4 सितम्बर को भी वह प्रस्ताव खारिज कर दिया। मैंने कितनी बार बोला भी एक बार आपलोग बैठकर बनाइए।

शिकायतकर्ता -! सब अपने मैं पावर है सर

संदिग्ध -! वो नही DEO का पावर है प्रस्ताव पर कुछ करना।

शिकायतकर्ता -! कमिटी वाला तो आपने ही पावर है न सर।

संदिग्ध -! आपलोग इस कमिटी को देखिए उसमें लिगल चीज है न,

शिकायतकर्ता -! अपने न रहिते तो छोड़ देतही कार्लेज इतना भी होइत। जे बोलतबीत

संदिग्ध -! हम ये चीज क्या नही ~~बोले है~~।

शिकायतकर्ता -! हमर वाला काम कर देतहीन सर, सत्येन्द्र वाला जैसे है सर न करतहीन।

संदिग्ध -! जो भी करेंगे कमिटी के बाद ही न होगा सिंगल कुछ होगा। कमिटी में रखने के लिए हम क्या करे-

(2)

शिकायतकर्ता -! अपने के पावर से मालूम के चीज है।

सैकिण्ड -! कोई वोटिंग नही करोगे क्या ?

शिकायतकर्ता -! वोटिंग करत रहे लए, ग्रामीण वाला लाइन्हों ला खाम नै हुआ रहल। अपने से चाहलहीन, गाइडलाइन उ जाले तब है न लए अपने ला बोलबलहीन हं। अपने ले लिपल थोड़े है लए। उसी को संशोधन करना है लए।

सैकिण्ड -! हम तो बोल रहे है आओ पहले उधर मिलो।

शिकायतकर्ता -! उधर बोला कि जिसका नाम आयेगा उसको हम कर देंगे। नया नाम D.P.O साहब भेजेंगे। आपले कुछ थोड़े हन वर।
सोमवार के कस्त आवर मैं आ जाइबे 20 हजार ले ले आवेला।

सैकिण्ड -! वो लब ठीक नही है, समझ गए न
हम यहाँ नही मिलेंगे हम 8-9 बजे कोलिनी

(1)

संदिग्ध -: हम यहाँ ऑफिस छोड़ आयेंगे डायरेक्ट दिल्ली आयेंगे ही, आज है शाम है। ये ही नहीं पटना निकल आयेंगे।

सोमवार को दिल्ली निकलेंगे, आपा-पोगी को ओ भी विजिट नहीं कीजिए।

शिकायतकर्ता - नहीं टिकट होगी है सर। सोमवार को टिकट आ तीन न सर।

संदिग्ध -! हम उठेंगे भी नहीं।

शिकायतकर्ता -! मंगल को करवा लेंगे।

संदिग्ध -! सोमवार को ही निकलेंगे, सभी काम करके निकल आयेंगे।

शिकायतकर्ता -! ठीक है सर आ जाइए सोमवार को।

सोनू कुमार
पु० अ० नि०
नि० निगरानी,
पटना
दिनांक - 23/06/25